

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर
दूरभाष 0141-5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

क्रमांक एफ 8()/आ0कृ0/जउप्र/पाईप/16-17/1049-71

दिनांक- 13-04-16


मैसर्स

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

विषय- कृषि विभाग में सिंचाई पाईप लाईन निर्माताओं के पंजीकरण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कृषि विभाग के माध्यम से कृषकों को सिंचाई पाईप लाईन पर अनुदान जारी किया जाता है, जिसके तहत राज्य व राज्य से बाहर सिंचाई पाईप लाईन निर्माताओं का पंजीकरण किया जाता है।

विभिन्न सिंचाई पाईप लाईन निर्माताओं द्वारा पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु आवेदन किया है। पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं पारदर्शिता लाई जा सके, के क्रम में श्रीमान आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, कृषि के निर्देशानुसार दिनांक 21.4.2016 को प्रातः 11.00 बजे पंत कृषि भवन स्थित कमेटी हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया है। अतः विचार-विमर्श एवं चर्चा हेतु आप उपस्थित हो।



(आर.डी.सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

दिनांक- 13.4.16

क्रमांक एफ 8()/आ0कृ0/जउप्र/पाईप/16-17/1049-71

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- एसीपी, मु0 जयपुर।
- 2- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, मु0, जयपुर।
- 3- केयर टेकर, मु0, जयपुर।


संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ